राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

" ए " ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309 Email- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :–एफ4 (ई)(1)(6)/पदस्थापन/अलेसे–III/ 2405 दिनांक :– 29.08.2018

आदेश संख्या : 222 /2018-19

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा 2013 में सफल घोषित होने एवं आयोग द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशंषा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (कनिष्ठ लेखाकार) के रूप मे उपस्थिति देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन–भतों पर प्रोविजनल आधार पर नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नांकित तालिका में उनके समक्ष अंकित विभाग/कार्यालय मे आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग को Email- jacct.dta@rajasthan.gov.inपर आवश्यक रूप से सूचित करे।

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री) पिता का नाम रोल नं.–मेरिट क्रंमाक/वर्ष	जन्मतिथि/वर्ग	पदस्थापन कार्यालय	अभ्यर्थी का फोटो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	RAJESH KUMAR YADAV HANUMAN SAHAI YADAV 862853 – 1238/2013	01-Sep-89	SUPERINTENDENT DISTRICT JAIL (33232) , HOME DEPARTMENT , JAIPUR , JAIPUR	
2	KAMAL KISHORE RAMU RAM NITHARWAL 893173 – 1243/2013	01-May-93	SOCIAL SECURITY OFFICER (3000418) , SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT , JALORE , JALORE	
3	NANDKISHORE GOPI RAM BISHNOI 480750 – 1244 /2013	01-Aug-91	JOINT DIRECTOR (908) , PENSION AND PENSIONERS WELFARE , BIKANER , BIKANER	
4	JAGDISH PRASAD KUMAWAT HANUMAN PRASAD KUMAWAT 902349 – 1251/2013	06-Jun-85	MANAGING DIRECTOR (1000355) , RAJASTHAN MINORITY FINANCE DEV. CORP. (EX CADRE POSTS) , JAIPUR , JAIPUR	
5	BABU LAL KUMAWAT MADAN LAL KUMAWAT 800927 – 1261/2013	10-Feb-92	RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT (1000046) , SECRETARIAT , JAIPUR , JAIPUR	

6	BHIM RAJ NAND RAM 692931 – 1262/2013	12-Jun-87	SOCIAL SECURITY OFFICER (3000517) , SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT , SURATGARH , SRIGANGANAGAR	
7	CHETAN KUMAR SAINI PRAHALAD RAY SAINI 827138 – 1272/2013	02-Jul-87	SOCIAL SECURITY OFFICER (3000406) , SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT , SANGANER , JAIPUR	
8	RAMESHVARI NARAYAN RAM KHICHAD 594660 – 2797/2013	20-May-92	SE NARMDA PROJECT I (781) , WATER RESOURCES , SANCHORE , JALORE	
9	BIMALA KUMARI BHAGIRATH MAL KHAKHIL 674533 – 2865/2013	25-Aug-89	TEHSILDAR (4761) , REVENUE DEPARTMENT , NAWALGARH , JHUNJHUNU	
10	KAMLESH KUMAR SAINI RAM LAL SAINI 804034 – 3192/2013	09-Sep-85	C.E.O. ZILA PARISHAD (RDC) (31192) , PANCHAYATI RAJ , UDAIPUR , UDAIPUR	
11	OM PRAKASH LIKHAMI CHAND 695389 – 3213/2013	08-Dec-77	TREASURY OFFICER - 1112 , TREASURIES AND ACCOUNTS , JAISALMER , JAISALMER	
12	SIDDHARTHA PIYUSH MAKHAN LAL JANGIR 851679 – 1290/2013	21-Aug-88	C.E.O. ZILA PARISHAD (RDC) (31192) , PANCHAYATI RAJ , UDAIPUR , UDAIPUR	
13	SANGITA AGARWAL NAWAL GOYAL 840315 – 2065/2013	31-Jan-75	DRUG CONTROLLER (28431) , MEDICAL AND HEALTH , JAIPUR , JAIPUR	
14	SARITA VISHNOI CHHOTU LAL 599764 – 2837/2013	22-Nov-90	PRINCIPAL NURSING COLLEGE (28387) , MEDICAL EDUCATION , JODHPUR , JODHPUR	

15	SUNIL MANGAWA SHISHRAM MANGAWA 900854 – 3202/2013	06-Feb-87	COMMISSIONER - 5133 , EDUCATION (HIGHER) , JAIPUR , JAIPUR	
16	MUKESH CHOUDHARY JALA RAM 587031 – 3210/2013	20-Mar-91	REGISTRAR RAJASTHAN HIGH COURT (915) , LAW DEPARTMENT , JODHPUR , JODHPUR	
17	SUMAN JAT KAJOR MAL JAT 852725 – 2860/2013	04-Mar-92	MANAGING DIRECTOR (1000365) , RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORP. LTD (EX CADRE POSTS) , JAIPUR , JAIPUR	

उपरोक्त अभ्यर्थियो को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नाकिंत शर्तो के अध्यधीन दी जा रही है:–

1. उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणर्थियो को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1) एफडी/ रुल्स/ 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। राज्य सेवा मे कार्यरत चयनित अभ्यर्थी सेवानियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व विभाग से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करने पर ही पूर्व/विद्यमान की सेवा का लाभ देय होगा।
2. राज्य सरकार के परिपत्र पं. 13(1) वित्त/नियम 2003 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होगें। राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अथवा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेशन योजना लागू होगी। यह नियुक्ति चरित्र एवं आचरण ठीक प्रमाणित होने की शर्त पर की जा रही है। यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं आचरण के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोष जनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगें।
3. कार्य ग्रहण करते समय अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र--ए में शपथ पत्र 50 रुपयें के नॉनज्यूडिशियल ई--स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
4. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा/सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
5. दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक रुप से पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना सं. एफ15(1)एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार की पे–मेट्रिक्स लेवल–10 में एवं नियमानुसार देय भत्तों पर किया जायेगा। परिवीक्षाकाल में इनको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नही होगें।
6. यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन है।
7. अभ्यर्थियो को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
8. अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल मे विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नही करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती हैं। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो से अधिक बार अनुतीर्ण होने पर इन्हे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 में आने वाले मामलो को छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नही होगा।
10. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नही पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमे एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नही है तो सरकार इन्हे सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
11. उक्त नियुक्तियॉ माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे दायर सिविल अपील संख्या 1464–66/2017 कैप्टन गुरूविन्दर सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर एसबी सिविल याचिका सं. 13077/2018 श्री भरत कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के अंतिम निर्णय के अध्यधीन दी जा रही है। उक्त नियुक्तियॉ उक्त पदो के संबंध में माननीय राज. उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर एवं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विचाराधीन विभिन्न रिट याचिकाओ में होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी । इसके अतिरिक्त उक्त पदों एंव इस परीक्षा के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एंव सर्वोच्च न्यायालय में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं मे पारित आदेश एवं अन्तिम निर्णय के अध्यधीन एंव माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान प्रकृति/तथ्य के प्रकरणों में दिये जाने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी ।
12. उपरोक्त अभ्यर्थी उक्त आदेश की पालना में नवनियुक्त विभाग/कार्यालय में निश्चित तिथि तक कार्यग्रहण नही करतें है और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते है तो उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :–एफ4 (ई)(1)(6)/पदस्थापन/अलेसे–III/2405

दिनांक :– 28.09.2018.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2 शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
3 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4 वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, जयपुर।
5 अतिरिक्त निदेशक (विधि) निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
6 विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ....को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियो से संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही इनकी उपस्थिति स्वीकार कर कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करावे ।
7 सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8 श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री.................................
9 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक ।
10 उपनिदेशक (एसीपी) कोष एवं लेखा जयपुर को कम्प्यूटर पर अपलोड करने एवं पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
11 रक्षित /निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्तनिदेशक (कार्मिक–III)